

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART I SECTION (II)]

No. I-18012/05/2022-IPS-I

भारत सरकार/Government of India  
गृह मंत्रालय/Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi  
Dated, the 18<sup>th</sup> July, 2022

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following member of the Indian Police Service allocated to the Tripura Cadre, with effect from the date mentioned against him:-

Sl. No.	NAMES OF THE OFFICER (S/Shri/Ms.)	DATE OF CONFIRMATION
01	Rati Ranjan Debnath (IPS:2011)	13.10.2018

  
(Anant Kishore Saran)  
Director (Police)  
Tel. 23093256


To  
The Manager,  
Government of India Press,  
Minto Road, New Delhi-110002

No.I-18012/05/2022-IPS-I

New Delhi, the 18 July, 2022

A copy each is forwarded to: -

1. The Chief Secretary, Government of Tripura, Agartala.
2. The Director General of Police, Tripura, Agartala – it is requested that copy of the order may be provided to the concerned officer.
3. The Secretary, UPSC, Dholpur House, New Delhi.
4. Sr. Tech. Dir. (NIC) for placing on MHA IPS portal under link [https://ips.gov.in/Conf\\_Tripura.aspx](https://ips.gov.in/Conf_Tripura.aspx) under title Tripura.

  
(Abhishek Dutt)  
Section Officer (IPS-I)  
Tel. 23094038

[भारत के राजपत्र, भाग I खंड (II) में प्रकाशनार्थ]

संख्या I-18012/05/2022-आईपीएस-I

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक 18 जुलाई, 2022

अधिसूचना

भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति त्रिपुरा संवर्ग को आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्य को, उसके सामने दर्शाई गई तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं:-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किये जाने की तिथि
1	रति रंजन देबनाथ (भा.पु.से. 2011)	13.10.2018

31-7-22  
(अनंत किशोर सरन)  
निदेशक (पुलिस)  
दूरभाष 23093256

सेवा में,  
प्रबंधक,  
भारत सरकार मुद्रणालय,  
मिन्टो रोड,  
नई दिल्ली - 110 002

संख्या I-18012/05/2022-आईपीएस-I

नई दिल्ली दिनांक 18 जुलाई, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित: -

1. मुख्य सचिव, त्रिपुरा सरकार, अगरतला
2. पुलिस महानिदेशक, त्रिपुरा सरकार, अगरतला -अनुरोध है कि इस आदेश की छाया प्रति सभी सम्बंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कृपा करें
3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एन आई सी) उपर्युक्त अधिसूचना को वेबसाइट <https://ips.gov.in/Conf Tripura.aspx> में प्रदर्शित करने हेतु

अभिषेक दत्त

(अभिषेक दत्त)  
अनुभागीय अधिकारी (आईपीएस-1)  
दूरभाष 23094038